REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 8 | MAY - 2023

न्यायपालिका में हिंदी की समस्या और अनुवाद की कठिनाइयाँ

[1]धीरेन्द्र यादव, [2]डॉ. चंद्रकांत रागीट
[1]शोधार्थी भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग, म. गा. अं. हिं. वि., वर्धा, महाराष्ट्र।
[2]प्रति प्रतिकुलपति और विभागाध्यक्ष, भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग, म. गा. अं. हिं. वि., वर्धा, महाराष्ट्र।

सारांश (abstract):

न्यायपालिका में हिंदी का प्रयोग विशेष कानूनी शब्दावली और भाषा की जटिल व्याकरणिक संरचनाओं के कारण कानूनी दस्तावेजों और अदालती कार्यवाही के अनुवाद में चुनौतियां प्रस्तुत करता है। सटीक अनुवाद के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी कानूनी अनुवादकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की कानूनी प्रणालियों की गहन समझ हो। व्यावहारिक कठिनाइयाँ जैसे समय सीमा, दस्तावेजों की मात्रा और गोपनीयता भी अनुवाद को जटिल बनाती हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए, सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मानव विशेषज्ञता के साथ-साथ अनुवाद स्मृति उपकरण और मशीन अनुवाद प्रणाली जैसे विशेष सॉफ़्टवेयर और उपकरणों का सावधानी से उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर, कानून के शासन को बनाए रखने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सटीक अनुवाद आवश्यक है।

मूल शब्द (Keywords): कानूनी भाषा, अनुवाद, मशीनी अनुवाद

परिचय(introduction):

हिंदी भाष से अभिप्राय मानक हिंदी से है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों (दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड) में शासन, शिक्षा व साहित्य के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती है। हिंदी भाषा दिल्ली के आस-पास कि खड़ी बोली का ही मानक रूप है जिसका आधार कौरवी बोली है। हिंदी विश्व स्तर पर भारत की अस्मिता की पहचान कराने में थी क्योंकि यह समग्र को जोड़ने वाली भाषा है तोड़ने वाली नहीं। भारत का संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली 'हिंदी' को अनुच्छेद 343 में देश की राजभाषा घोषित कर चुका है और उसके स्वरूप, प्रयोजन, एवं विकास को अनुच्छेद 351 में सुनिश्चित किया जा चुका है। भारत की संसकृति को प्रतिबिंबित करने वाली भाषा के रूप में हिंदी के विकास हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। हिंदी का प्रचार-प्रसार व हिंदी को अंतरराष्ट्रीय फ़लक पर के ले जाने लिए भिन्न-भिन्न देशों में अभी तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलनों (भारत, मॉरीशस, लंदन, अमेरिका, त्रिनिदाद, सूरीनाम एवं दक्षिण अफ्रीका, फ़िजी) का आयोजन भी किया जा चुका है।

न्यायपालिका में हिंदी की समस्या:

भारत में आज भी अँग्रेजी भाषा का आधिपत्य बना हुआ है और प्रायः इस बात पर दु:ख प्रगट किया जाता है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद, आज तक हिंदी को वह जगह नहीं मिल सकी है जिसकी वह हकदार है। यह सही कि सरकारी काम-काज या बाज़ारवाद की दुनिया में अँग्रेजी का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। अँग्रेजियत की श्रेष्ठता में हम भी अँग्रेजी महज इसलिए सीखते हैं कि अँग्रेजी पढे बिना नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जनता हूँ जिनको सिर्फ इस बात का मलाल है कि उनकी बीवियाँ उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ

अँग्रेजी में बात नहीं कर सकती हैं और कई ऐसे परिवारों को जनता हूँ जहाँ अँग्रेजी मातृभाषा बनाई जा रही है। ये सारी बातें गुलामी और घोर पतन के चिह्न हैं। क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम भर ही नहीं होती भाषा और संस्कृति कि संवाहक भी होती हैं। पराई भाषा आदमी को रटंत तोता बना देती है, उसकी नवोन्मेशी प्रवृत्तियों को थोथरा कर देती है। ऐसे में अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रसार विकसित दुनिया के सामने एक वैकल्पिक दुनिया निर्मित कर सकता है। इसलिए इस संबंध में 2 सितंबर 1921 को महात्मा गांधी ने कहा था कि "अगर हमारे हाथ में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज से ही विदेशी भाषा माध्यम के जरिए अपने लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूँ या उन्हें बर्खास्त कर दूँ। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे चली आएँगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए।" (मालिक, मोहम्मद: राजभाष हिंदी विकास के विविध आयाम: प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली1986) एक जानकारी के अनुसार संसार में लगभग 2700 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं और लगभग 1600 भाषाएँ अकेले भारत में बोली जाती हैं जिसमें हिंदी का विशिष्ट स्थान है। अँग्रेजियत का प्रभाव या फिर अपनी भाषा के प्रति कम लगाव के कारण भाषाओं का दमन हो रहा है जिससे भाषाएँ लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। प्रति वर्ष 2% विश्व भाषाओं का लोप होता जा रहा है। हिंदी बोलने, लिखने, समझने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो आज डिजिटलाइजेशन के दौर में भी इंटरनेट पर दुनिया की 10 प्रमुख भाषाओं में हिंदी कहीं नहीं आती है। हिंदी भाषा-भाषी लोक को इक्कीसवीं सदी में कूप-मंडूप बनाने से रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हिंदी में ज्ञान और विज्ञान का साहित्य अनूदित और प्रकाशित हो।

आज अँग्रेजियत की श्रेष्ठता के बावजूद भी अँग्रेजी के समाचार चैनलों की अपेक्षा हिंदी समाचार चैनलों की संख्या अधिक है जिस कारण संवाददाता, संकलनकर्ता, संपादक, प्रूफ शोधक, हिंदी उद्घोषक, प्रतिवेदक आदि की माँग बढ़ रही है।

न्यायपालिका लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है और यहाँ की पूरी कार्यवाही अँग्रेजी हुकूमत या ठाट-बाट के आधार पर ही की जाती है। इसका प्रक्रिया का पालन सभी को अँग्रेजियत के अनुसार करना अनिवार्य है। कुछ निचली अदालतों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक न्यायालय की भाषा अँग्रेजी ही है जबकि भारत का एक बड़ा भूभाग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। न्याय की भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए किंतु विडंबना यह है आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने पर भी राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ-साथ कुछ निचली अदालतों को छोड़कर कहीं भी आम जनता की भाषा में अदालतों की कार्यवाही नहीं होती है। जबकि आवश्यकता है उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में और निचली अदालतों में वहाँ की स्थानीय भाषा में कार्यवाही हो। न्यायालयों में दो तरह की कार्यवाही होती है पहला-न्यायिक/क़ानूनी कार्यवाही तो दूसरा प्रशासनिक कार्यवाही। यद्यपि न्यायालय की भाषा तो अँग्रेजी है जिसे एक खास तबका/कार्पोरेट तो समझता है किंतु अभी भी न्यायालय में कार्यवाही की भाषा केवल न्यायधीशों एवं वकीलों के बीच की कानूनी भाषा भी अलग होती है। ऐसे में हिंदी नाम-मात्र की भी नहीं होती है काम-मात्र की बात ही छोड़ दें। न्यायालयों में न्यायिक/क़ानूनी कार्यवाही को छोड़ दें तो भी प्रशासनिक कार्यवाही राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है किंतु यहाँ भी न्यायिक/क़ानूनी कार्यवाही की आड़ में राजभाषा का उलंघन किया जाता है और राजभाषा विभाग न्यायिक/क़ानूनी कार्यवाही के भय से राजभाषा अधिनियम के पक्ष में कोई सक्रिय कदम नहीं उठा पता है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपने भूमंडलीय संजाल का प्रदर्शन हिंदी संस्कारण में करना अनिवार्य है। वर्तमान सरकार के दबाव में राजभाषा विभाग के इस कदम को कुछ ने तो इसे अपनाया फिर भी पूरी तरह से अभी भी लागू नहीं है।...

न्यायपालिका में अनुवाद की कठिनाइयाँ:

कई कारकों के कारण न्यायपालिका में अनुवाद एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। न्यायपालिका में अनुवाद की कुछ मुख्य कठिनाइयों इस प्रकार हैं:

कानूनी शब्दावली (Legal Terminology): कानूनी भाषा जटिल है और अक्सर तकनीकी शब्दों और शब्दजाल का उपयोग करती है जो लक्ष्य भाषा में प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं हो सकती है। अनुवादकों को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं की कानूनी शब्दावली से परिचित होना चाहिए और सटीक अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रणाली की पूरी समझ होनी चाहिए।

प्रासंगिक बारीकियाँ (Contextual Nuances): कानूनी पाठों में अक्सर विशिष्ट प्रासंगिक बारीकियाँ होती हैं जिन्हें अनुवाद में सटीक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए कानूनी प्रणाली, सांस्कृतिक संदर्भ और भाषा की बारीकियों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य भाषा में सही अर्थ व्यक्त किया गया है।

कानूनी अवधारणाएँ (Legal Concepts): कानूनी अवधारणाएँ और सिद्धांत किसी विशेष कानूनी प्रणाली के लिए अद्वितीय हो सकते हैं, और अनुवादकों को इन अवधारणाओं का सटीक अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रणाली की व्यापक समझ होनी चाहिए।

मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ (Idiomatic Expressions): कानूनी भाषा अक्सर मुहावरेदार अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है जो लक्ष्य भाषा में प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं हो सकती हैं। कानूनी संदर्भ को बनाए रखते हुए अनुवादकों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति के इच्छित अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए।

समय की कमी (Time Constraints): कानूनी कार्यवाही में अक्सर एक समय सीमा होती है, और अनुवादकों के पास अपना काम पूरा करने के लिए सीमित समय हो सकता है। इससे अनुवाद में त्रुटियों या अशुद्धियों का खतरा बढ़ सकता है।

न्यायालयों में समय की बाध्यता का सख्ती से पालन करना तथा माननीय न्यायधीशों एवं अन्य पदाधिकारियों को हिंदी अनुवाद का अर्थ केवल देवनागरी लिपि में 'टंकण' करने से एवं अँग्रेजी अनुवाद केवल 'रोमन' लिपि में टंकण ही समझा आता है न कि अनुवाद जैसा दुरूह कार्य।

- By this petition, the petitioner has **impugned** the **communications** of the respondent, dated 07.04.2016 **terminating the services of the petitioner**.
  इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.04.2016 के उत्तरदाता के **संचार क्यावस्था** को **आक्षेपित** किया है जिसके द्वारा **याचिकाकर्ता को नौकरी से निस्काषित कर दिया गया था।**
- Shri Mirza, the learned counsel **for the petitioner**, submitted that the principles of natural justice have been **breached** in this case, inasmuch as, the **charges levelled** against the petitioner are as vague as they could be and are not supported or explained by the statement of allegations.
  याचिकाकर्ता की ओर से श्री मिर्जा, विज्ञ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का **भंग (उलंघन)** किया गया है, याचिकाकर्ता के विरुद्ध **आरोप स्तर** इतना अधिक असपष्ट है जितना वे आरोपों के तथ्य की व्याख्या अथवा पुष्टि/समर्थन कर भी सकते हैं और नहीं भी।
- Normally, we would not have **imposed costs** on the respondents and would have simply allowed the petition on the ground that a fair opportunity was not granted to the petitioner, however, since nearly twenty minutes were wasted by the learned counsel for the respondents in making submissions that were not **germane** to the issue involved, we are **inclined** to impose costs on the respondents.
  समान्यतः, हम उत्तरदाताओं पर मुकदमे का **कोई शुल्क नहीं थोपते** और बुनियादी तौर पर आसानी से याचिका के लिए अनुमति दे देते हैं कि याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जबकि, विज्ञ वकील ने जो मुद्दे में शामिल करने के लिए **तर्क संगत** नहीं थे इसके लिए लगभग 20 मिनट का समय बर्बाद किया, हम उत्तरदाता पर शुल्क थोपने के लिए **विवस** हैं।

Interim bail - अंतरिम ज़मानत
Applicant - आवेदक
Appeal - याचिका/
Appellant - अपीलकर्ता
Petitioner - याचिकादाता
Pleading - अदालती बहस
Respondent - प्रतिवादी
Prosecution - अभियोग पक्ष
Party - पक्ष

हिंदी भाषा भारतीय न्यायपालिका की आधिकारिक भाषा है, और कई अदालती कार्यवाही और निर्णय हिंदी में आयोजित और लिखे जाते हैं। हालाँकि, न्यायपालिका में हिंदी के प्रयोग से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जो अनुवाद को एक कठिन कार्य बनाती हैं। इनमें से कुछ चुनौतियों में शामिल हैं:

जटिल कानूनी शब्दावली: अदालती कार्यवाही और निर्णयों में प्रयुक्त कानूनी भाषा में कई जटिल कानूनी शब्द और वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ और संदर्भ खोए बिना हिंदी में अनुवाद करना मुश्किल होता है।
मानकीकरण का अभाव: हिंदी में कानूनी शब्दावली के प्रयोग में मानकीकरण का अभाव है, जिससे अनुवाद में भ्रम और असंगति हो सकती है।
बोलियों में अंतर: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी की कई बोलियाँ हैं, जो अनुवादकों के लिए कानूनी ग्रंथों को समझना और अनुवाद करना मुश्किल बना सकती हैं।
सीमित शब्दावली: हिंदी भाषा में कानूनी शब्दावली के लिए एक सीमित शब्दावली है, जो जटिल कानूनी ग्रंथों का सटीक अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
व्याकरण संबंधी अंतर: हिंदी और अंग्रेजी के बीच व्याकरण संबंधी अंतर हैं, जिससे कानूनी ग्रंथों का सटीक अनुवाद करना मुश्किल हो सकता है।

भारतीय न्यायपालिका में अनुवाद की कठिनाइयों को हल करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कानूनी भाषा और अवधारणाओं को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की अनूठी चुनौतियों को ध्यान में रखता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के कुछ प्रविधि इस प्रकार है:
विशिष्ट कानूनी अनुवादक: कानूनी अनुवाद के लिए कानूनी शब्दावली और कानूनी प्रणाली दोनों में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पेशेवर कानूनी अनुवादकों का उपयोग करना जो हिंदी के मूल भाषी हैं और भारतीय कानूनी प्रणाली में विशेषज्ञता रखते हैं, सटीक और विश्वसनीय अनुवाद सुनिश्चित कर सकते हैं।
शब्दावली प्रबंधन: शब्दावली डेटाबेस बनाए रखने से अनुवाद में कानूनी शब्दावली के उपयोग में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यह त्रुटियों और गलतफहमी के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है।
प्रासंगिक समझ: कानूनी ग्रंथों में अक्सर विशिष्ट प्रासंगिक बारीकियाँ होती हैं जिन्हें अनुवाद में सटीक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। हिंदी में सही अर्थ देने के लिए अनुवादकों को कानूनी प्रणाली, सांस्कृतिक संदर्भ और भाषा की बारीकियों की गहरी समझ होनी चाहिए।
कानूनी शब्दकोशों का प्रयोग: अनुवादक अंग्रेजी में तकनीकी कानूनी शर्तों के लिए हिंदी में समकक्ष शब्दों को खोजने के लिए कानूनी शब्दकोशों का उपयोग कर सकते हैं। यह कानूनी शब्दावली के उपयोग में सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों और अनुवादकों के बीच सहयोग: कानूनी विशेषज्ञों और अनुवादकों के बीच सहयोग यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि अनुवाद कानूनी पाठ के इच्छित अर्थ को सटीक रूप से दर्शाता है। कानूनी विशेषज्ञ शामिल विशिष्ट कानूनी अवधारणाओं और सिद्धांतों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जबकि अनुवादक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनुवाद लक्षित दर्शकों के लिए सटीक और उपयुक्त है।

मशीनी अनुवाद द्वारा कानूनी भाषा की समस्या को दूर करना:

कानूनी भाषा की समस्या दूर के लिए मशीनी अनुवाद एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। कानूनी दस्तावेज़ों के लिए मशीनी अनुवाद का उपयोग करते समय कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

उच्च गुणवत्ता वाली मशीन अनुवाद प्रणाली का उपयोग करना चाहिए जिसे विशेष रूप से कानूनी भाषा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कानूनी भाषा में अक्सर तकनीकी शब्दावली और जटिल वाक्य संरचनाएं होती हैं जिन्हें सामान्य-उद्देश्य मशीन अनुवाद प्रणालियों द्वारा अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी भाषा के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष प्रणाली का उपयोग करना आवश्यक है।

मशीनी अनुवाद की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि मशीनी अनुवाद कानूनी दस्तावेज की सामग्री की सामान्य समझ प्रदान कर सकता है, इसलिए, सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मानव विशेषज्ञ द्वारा अनुवाद की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।

मशीनी अनुवाद का उपयोग करने के कानूनी निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्षेत्राधिकार के आधार पर, अनुवाद के लिए मानव अनुवादक द्वारा प्रमाणित होने के लिए कानूनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। इसलिए, स्थानीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। मशीनी अनुवाद एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। जबकि कानूनी संदर्भ में मशीन अनुवाद का उपयोग करने से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ हैं, इन्हें विशेष मशीनी अनुवाद प्रणालियों के उपयोग, पोस्ट-एडिटिंग और मशीन अनुवाद की सीमाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करके संबोधित किया जा सकता है।

निष्कर्ष :

यह कहने की जरूरत नहीं है कि अनुवाद की एक बेहतर और व्यापक प्रणाली के अभाव में दुनिया के एक बड़े भूभाग में विकसित और उन्नत समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। समर्थ और सक्षम अनुवाद प्रणाली के नहीं होने से भाषिक विविधताओं, ज्ञानात्मक उपलब्धियों तथा क़ानूनी पहलुओं से अपरिचित व अनभिज्ञ रह जाते हैं और वे हमारे लिए गुप्त खजाना (sealed book) रह जाती हैं। आज जिस गति से बदलाव हो रहा है ऐसे में अनुवाद को व्यक्ति केंद्रिक कर्म से आगे ले जाकर समूह केंद्रिक सृजनात्मक उत्पाद में परिणत किया जाए। इसके लिए अनुवादक, भाषाविद, भाषावैज्ञानिक, कंप्यूटरविदों, और औद्योगिक घरानों का समूह बनाकर इसे उद्यम का रूप दिया जाए। अनुवाद के लिए न केवल भाषाई विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों की कानूनी प्रणालियों की गहन समझ की भी आवश्यकता होती है। सटीक और विश्वसनीय अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी कानूनी अनुवादकों का उपयोग आवश्यक है। इन समस्या के लिए, अनुवाद प्रक्रिया में सहायता के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि अनुवाद स्मृति उपकरण और मशीन अनुवाद प्रणाली। हालांकि, इन उपकरणों का हमेशा सावधानी के साथ उपयोग किया जाना चाहिए, और सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मानव विशेषज्ञता को नियोजित किया जाना चाहिए।

संदर्भ-सूची:

- मालिक डॉ प्रवीण :नई दिल्ली .के विविध आयाम राजभाष हिंदी विकास .(1996) .मोहम्मद .प्रकाशन.
- rajbhasha.gov.in: https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/saralshabdavali.pdf
- Charrow, R. P., & Charrow, V. R. (1979). Making Legal Language Understandable: A Psycholinguistic Study of Jury Instructions. *Columbia Law Review*, *79*(7), 1306–1374. https://doi.org/10.2307/1121842
- Sehrawat, Vivek (2021) "Implementation of International Law in Indian Legal System," Florida Journal of International Law: Vol. 31 : Iss. 1 , Article 4.
- Karasev, A. T., Savoskin, A. V., & Chufarova, E. N. (2020). THE LANGUAGE OF LAW: CONCEPT AND SPECIFICS. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- Ződi, Z. (2019). The limits of plain legal language: understanding the comprehensible style in law. International Journal of Law in Context, 246-262.